न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा सं0 : 36/23

1:–नानीबाई पत्नी हीरालाल जाति खटीक निवासी बेगूं तह0 बेगूं
2:– गुड्डीदेवी पत्नी यशवंत कुमार जाति खटीक निवासी बेगूं तह0 बेगूं

.... वादीगण

– बनाम –

1:–कालीबाई पत्नी प्यारचंद जी बलाई निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
2:–काशीराम पिता शंकरलाल जी बलाई निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
3:–घीसीबाई पत्नी रतनलाल जी बलाईनिवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
4:–छगना पिता भंवरलाल जी बलाईनिवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
5:–कैलाश पिता देबीलाल जी बलाई निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
6:–नौजीबाई पत्नी देबीलाल जी बलाई निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
7:–नाथू पिता भंवरलाल जी बलाई निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
8:–प्रभू पिता भंवरलाल जी बलाई निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ (लाऔलाद फौत)
9:–फोरीबाई पुत्री हीरा जी बलाई निवासी ठुकराई तहसील बेगू
10:–शंभूलाल पिता प्यारचंद जी बलाई निवासी ठुकराई तहसील बेगू
11:–हरलाल पिता भंवरलाल जी बलाई निवासी ठुकराई तहसील बेगू
12:–हरिगोपाल पिता प्यारचंद जी बलाई निवासी ठुकराई तहसील बेगू
13:– श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ठुकराई तह0 बेगूं
14:– श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तह0 कार्यालय बेगूँ
15:– श्रीमान जिला कलक्टर महोदय प्रतिनिधि राजस्थान सरकार चित्तौडगढ

.......प्रतिवादीगण

उपस्थित :: अशोक शर्मा
अधिवक्ता वादी
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक : 30–04–2025

निर्णय वाद अ0धा0 53–88 राज0का0अधि0

वादी की ओर से वाद अ0धा0 53–88 राज0का0अधि0 का अधिवक्ता श्री राकेश शर्माद्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया है कि–

यह कि हम वादीगण एंव प्रतिवादी सं. 1 से 12 तक की संयुक्त खातेदारी एंव कब्जे काश्त कि कृषि आराजीयात मौजा ग्राम ठुकराई प.ह. ठुकराई तहसील बेगू में वर्तमान संवत 2078 की खाता खतौनी संख्या 304 में अंकित हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं:–

खाता सं. 304 आराजी संख्या रकबा हे.

1013	0.9630 है0
1014	1.1330 है0
1015	0.9630 है0
1024	1.3350 है0

यह कि वादपत्र में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में अंकित खाता सं. 304 में अंकित आराजीयात में वादी सं. 1 का 1/8 हक हिस्सा एवं वादी सं. 2 का 59/432 हक हिस्सा निहित होकर वादीगण अपने–अपने निहित हक–हिस्से अनुसार मौके पर काबीज होकर काश्त करते चले आ रहें हैं एंव प्रतिवादी संख्या से 12 भी राजस्व जमाबंदी रेकार्ड में 1 अंकितानुसार अपने–अपने हक हिस्सा अनुसार भूमि पर काबीज हो काश्त करते चले आ रहें है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

यह कि वादपत्र अंकित आराजीयात खाता सं0 304 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या हक–हिस्सें अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 1 लगायत 12 तक का जमाबंदी में अंकित राजस्व रेकार्ड में अंकित होकर वादीगण एवं से लगाकर 12 तक अपने अपने हक हिस्से अनुसार मोके पर आपसी तौर पर मौखिक बंटवाडा कर निरंतर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। और लगान भी अदा करते आ रहे है लेकिन मौके पर एंव राजस्व रिर्काड में विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आए दिन फसल बोने व घास चारा काटते समय सीमा संबंधी एंव लगान जमा कराते समय विवाद होता रहता है जिसके स्थाई समाधान के लिए वादीगण ने आपसी सहमति से तहसील मे चलकर खाता विभाजन कराने के लिए प्रतिवादीगण को कहा किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार कर देने से यह वादपत्र वास्ते घोषणा विभाजन हेतु न्यायालय श्रीमान मे पेश करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि वादपत्र में अंकित आराजीयात खाता सं0 304 में वादी संख्या 1 एवं वादी संख्या 2 राजस्व रेकार्ड में अंकित हक हिस्से अनुसार मौके पर काबीज होकर काश्त कर रहें हैं एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 12 तक भी राजस्व रेकार्ड में अंकित हक हिस्से अनुसार मौके पर अपने अपने हक हिस्से पर काबीज हो काश्त कररहें हैं लेकिन राजस्व रेकार्ड में एवं मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विधिवत विभाजन नही होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर कब्जे अनुसार एवं मिट्स एण्ड बाण्उड्स के आधार पर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का विभाजन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

यह की वाद कारण दिनांक 05.01.2023 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को तहसील में चलकर भुमि का बंटवाडा कराने एंव खाता अलग कराने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण द्वारा इंकार करने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

अतः वादी श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है–

(अ) कि वादपत्र में अंकित मौजा ढुकराई प.ह. ढुकराई तहसील बेगूँ के संवत 2078 की खाता सं. 304 में अंकित आराजी संख्या 1013,1014,1015,1024 कुल कीता 4 कुल रकबा 4.3940 है. में वादी सं. 1 का 1/8 हक हिस्सा एवं वादी सं. 2 का 59/432 हक हिस्सा अनुसार वादीगण अपने अपने निहित हक हिस्से अनुसार मौके पर काबीज होकर काश्त कर रहें हैं एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 12 भी राजस्व रेकार्ड में अंकितानुसार हक–हिस्से अनुसार अपने अपने हिस्सा भूमि पर काबीज हो काश्त करते चले आ रहें हैं वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य भुमि का मिट्स एंड बाउन्डस के आधार पर अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी एवं कब्जे अनुसार भुमि का विभाजन किए जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराई जावें।

(ब)कि बाद विभाजन वादीगण का खाता अलग रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति वादीगण के पक्ष में प्रदान कराई जावें।

(स) अंन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो प्रदान कराया जावे।

वाद अ0धा0 53–88 राज0का0अधि0 का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1, 3, 4, 5, 6, व 8, 10, 12, 13बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिससे इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। एवं प्रतिवादी सं0 2 व 9 लाऔलाद फोत हो जाने से दिनांक 09.10.2023 से दोनों का नाम वादपत्र से डिलीट किया गया। प्रतिवादी सं0 11 ने उपस्थित होकर वादपत्र पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।प्रतिवादी सं0 14 व 15 फोर्मल पक्षकार होने से जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया जाने पर प्रतिवादी सं0 14 व 15 का जवाब अवसर वंद किया जाने के पश्चातवादी की और से वादी नानीबाई के साक्ष्यवादी में बयान कलमबद्ध करा दस्तावेज प्रदर्श कराये गये। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

अवलोंकन में पाया कि वादपत्र में अंकित वाद वर्णित आराजी में वादी सं0 1 का हिस्सा 1/8एवं वादी सं0 2 का 59/432 दर्ज है जिसका वादीगण विभाजन कराने का अधिकारी पाया जाता है। इसी हिस्सा अनुसार विभाजन किया जाना न्यायसंगत है।

अतः वाद वादी का अंतर्गत धारा 53–88 राज0का0अधि0 का स्वीकार किया जाता है। मौजा ढुकराई प.ह. ढुकराई तहसील बेगूँ के संवत 2078 की खाता सं. 304 में अंकित आराजी संख्या 1013,1014,1015,1024 कुल कीता 4 कुल रकबा 4.3940 है. में वादी सं. 1 का 1/8 हक हिस्सा एवं वादी सं. 2 का 59/432घोषित किया जाता है। शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार आराजी में विभाजन

(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

...जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 1500/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त [कि]या जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ भेजकर [नि]र्देशित किया जाता है कि वे निर्णयानुसार आराजी का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए मूल नक्शा ट्रेस दो प्रति में इस न्यायालय में पेश करें।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूं के पत्र क्रमांक/राजस्व(कोर्ट)/2025/256 दिनांक 22.04.2025 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा दुकराई पटवार हल्का दुकराई की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

वादीगण

1– श्रीमति नानीबाई पति हीरालाल खटीक 54/113 गुड्डीदेवी पति यशवंत खटीक 59/113 सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
1015 मेसे	0.8240		5.62
1024 मेसे	0.3250		2.22
कीता– 02	1.1490 हैक्टर		7.84

प्रतिवादीगण

2– श्रीमति कालीबाई पति प्यारचन्द बलाई हिस्सा 36/319, काशीराम पुत्र शंकरलाल बलाई हिस्सा 27/319, घीसीबाई पति रतनलाल बलाई हिस्सा 54/2233, छगनलाल पुत्र भंवरलाल बलाई हिस्सा 27/319, कैलाश पुत्र देवीलाल बलाई हिस्सा 162/2233, नाजीबाई पति देवीलाल बलाई हिस्सा 162/2233, नाथु पुत्र भंवरलाल बलाई हिस्सा 27/319, प्रभू पुत्र भंवरलाल बलाई हिस्सा 27/319, फोरीबाई पुत्री हीरा बलाई हिस्सा 54/319, शंभूलाल पिता प्यारचन्द बलाई हिस्सा 36/319, हरलाल पुत्र भंवरलाल बलाई हिस्सा 27/319, हरिगोपाल पिता प्यारचन्द बलाई हिस्सा 4/319, सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
1013	0.9630		6.57
1014	1.1330		7.73
1015 मेसे	0.1390		0.95
1024 मेसे	0.7860		5.36
1024 मेसे	0.2240		1.52
कीता– 05	3.2450 हैक्टर		22.13

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी मिश्रा)
(सहायक कलक्टर)
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

कार्यालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा सं0 : 36/23

1:– नानीबाई पत्नी हीरालाल जाति खटीक निवासी बेगूं तह0 बेगूं
2:– गुड्डीदेवी पत्नी यशवंत कुमार जाति खटीक निवासी बेगूं तह0 बेगूं

.... वादीगण

– बनाम –

1:–कालीबाई पत्नी प्यारचंद जी बलाई निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
2:–काशीराम पिता शंकरलाल जी बलाईनिवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
3:–घीसीबाई पत्नी रतनलाल जी बलाईनिवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
4:–छगना पिता भंवरलाल जी बलाईनिवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
5:–कैलाश पिता देबीलाल जी बलाई निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
6:–नौजीबाई पत्नी देबीलाल जी बलाई निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
7:–नाथू पिता भंवरलाल जी बलाई निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
8:–प्रभू पिता भंवरलाल जी बलाई निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ (लाऔलाद फौत)
9:–फोरीबाई पुत्री हीरा जी बलाई निवासी ठुकराई तहसील बेगू
10:–शंभूलाल पिता प्यारचंद जी बलाई निवासी ठुकराई तहसील बेगू
11:–हरलाल पिता भंवरलाल जी बलाई निवासी ठुकराई तहसील बेगू
12:–हरिगोपाल पिता प्यारचंद जी बलाई निवासी ठुकराई तहसील बेगू
13:– श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ठुकराई तह0बेगूं
14:– श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तह0 कार्यालय बेगूँ
15:– श्रीमान जिला कलक्टर महोदय प्रतिनिधि राजस्थान सरकार चित्तौडगढ

.......प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीकी ओर कोई नही एक तरफा आदेश में वाद अ.धा. 53–88आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 30.04.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के समक्ष प्राथमिक निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा ठुकराई पटवार हल्का ठुकराई की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

वादीगण

1– श्रीमति नानीबाई पति हीरालाल खटीक 54/113 गुड्डीदेवी पति यशवंत खटीक 59/113 सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
1015 मेसे	0.8240		5.62
1024 मेसे	0.3250		2.22
कीता– 02	1.1490 हैक्टर		7.84

प्रतिवादीगण

2– श्रीमति कालीबाई पति प्यारचन्द बलाई हिस्सा 36/319, काशीराम पुत्र शंकरलाल बलाई हिस्सा 27/319, घीसीबाई पति रतनलाल बलाई हिस्सा 54/2233, छगनलाल पुत्र भंवरलाल बलाई हिस्सा 27/319, कैलाश पुत्र देवीलाल बलाई हिस्सा 162/2233, नाजीबाई पति देवीलाल बलाई हिस्सा 162/2233, नाथु पुत्र भंवरलाल बलाई हिस्सा 27/319, प्रभू पुत्र

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

...पाल बलाई हिस्सा 27/319, फोरीबाई पुत्री हीरा बलाई हिस्सा 54/319, शंभूलाल पिता ...रचन्द बलाई हिस्सा 36/319, हरलाल पुत्र भंवरलाल बलाई हिस्सा 27/319, हरिगोपाल पिता प्यारचन्द बलाई हिस्सा 4/319, सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
1013	0.9630		6.57
1014	1.1330		7.73
1015 मेसे	0.1390		0.95
1024 मेसे	0.7860		5.36
1024 मेसे	0.2240		1.52
कीता– 05	3.2450 हैक्टर		22.13

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2025/ दिनांक ::–

अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दि जावे।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ
बेगूं (चित्तौड़गढ़)